



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062021-227540
CG-DL-E-12062021-227540

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2174]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 2021/ज्येष्ठ 21, 1943

No. 2174]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 2021/JYAISTHA 21, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2021

का.आ. 2274(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट राज्य राजमार्ग संख्या-24 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश किमी. 0 किमी. से 20.62 किमी तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राज्य राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तराखंड राज्य में राज्य राजमार्ग संख्या-24 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.620 तक तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	भूमि अधिग्रहण के सक्षम अधिकारी (देहरादून)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या No Yet to be Assigned के कि.मी. 0 से 20.62 तक	उत्तराखंड	देहरादून	ऋषिकेश	1 बड़कोटमाफी
						2 रानीपोखरी ग्रान्ट
						3 रैनापुरग्रान्ट
						4 ऋषिकेश
						5 रानीपोखरी
						6 लिस्ट्राबाद ग्रान्ट
						7 फलसूआ
					डोईवाला	1 भानियावाला
						2 कान्हरवाला
						3 जौलीग्रान्ट
						4 अटूरवाला
						5 मिस्सरवाला खुर्द
						6 लच्छीवाला
						7 बक्सरवाला
						8 सगतियावाला खुर्द

[फा. सं. NHA/PIU-VSNT-VHR/55011/RKSH-BHNYLA/2021]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2021

S.O. 2274(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Bhaniyawala (Dehradun) to Rishikesh i.e from Km. 0 to Km. 20.62 of the state highway 24 for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of UTTARAKHAND.

SCHEDULE

Land acquisition on state highway-24 Bhaniyawala (Dehradun) to Rishikesh from Km. 0.000 to km. 20.620 in the State of UTTARAKHAND.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Special Land Acquisition Officer	0KM To 20.62KM	UTTARAKHAND	DEHRADUN	Rishikesh	1 Barkotmafi
						2 Ranipokhari Grant
						3 Rainapur Grant
						4 Rishikesh
						5 Ranipokhari
						6 Listrabad Grant
						7 Falsua
					Doiwala	1 Bhaniyawala
						2 Kanharwala
						3 Jauligrant
						4 Athoorwala
						5 Missarwala khurd
						6 Lachhiwala
						7 Baksarwala
						8 Sagatiyawala Khurd

[F. No. NHAI/PIU-VSNT-VHR/55011/RKSH-BHNYLA/2021]

RAJESH GUPTA, Director